न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 751/2016

1. सुखदेवसिंह पुत्र सुखदीपसिंह जाति जटसिख आयु करीब 10 वर्ष नाबालिग जरिये माता व वलिया सुखपिन्द्र कौर पत्नि सुखदीपसिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. सुखदीपसिंह पुत्र जगसीरसिह जाति जटसिख निवासी चक 3 सी छोटी वर्तमान निवासी ताराचन्द बस्ती रामामण्डी तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री गुरजीतसिंह अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री मुकेश कुमार सिन्धी अधिवक्ता — अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 26.04.2017

प्रार्थी नें जरिये अधिवक्ता मूल वाद संख्या 123/2016 अन्तर्गत धारा 88,91,188,92ए आर.टी.ए. प्रस्तुत कर अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि अप्रार्थी संख्या 1 को उसके पूर्वज गुलजारसिंह वल्द नारायणसिंह की मृत्यु के उपरान्त जरिये इन्तकाल संख्या 196 दिनांक 01.03.1994 को आनें भाई कुलदीपसिंह के साथ चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 79/50 मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 की कुल 2.530 हैक्टर में से निस्फ हिस्सा मिला हुआ है इस प्रकार उपरोक्त आराजी जद्दी जायदाद होनें से वादी प्रार्थी का इसमें जन्म से हक व हिस्सा बनता है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1.265 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा बनता है।

अप्रार्थी संख्या 1 बुरी आदतों का शिकार है तथा गलत लोगों के प्रभाव में है तथा अपनें गलत आदतो की पूर्ति के लिये वह उपरोक्त भूमि को गलत तौर से मुन्तकिल करना चाहता है प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता को छोडकर अन्य किसी औरत के साथ रामामण्डी में रह रहा है। तथा इसी कारण उपरोक्त आराजी को मुन्तकिल करके वादी को उसके हक हिस्सा से वंचित करना चाहता है जबकि कानूनन वह वादी के हिस्सा की भूमि को बिना विभाजन किसी प्रकार से मुन्तकिल करनें का अधिकारी नहीं है यदि वह अपनें गल्त मकसद में सफल हो गया तो वादी प्रार्थी को ना पूरा होनें वाला नुकसान होगा।

कब्जा उपरोक्त समस्त अराजी पर वादी प्रार्थी का चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जबरन बेदखल कर आराजी को गलत तौर से मुन्तकिल करना चाहता है जबकि वादी का व उसकी माता का जीवन निर्वाह का केवल मात्र यही साधन है।

वादी प्रार्थी नें अप्रार्थी संख्या 1 से बार बार आग्रह किया कि वह उपरोक्त आराजी चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 79/50 मुरब्बा नम्बर 22 के 2.530

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

हैक्टर के निस्फ हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है को जद्दी मानकर तथा वादी का इसमें 1/2 हिस्सा होनें का मानकर वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करवाये बिना खाता विभाजन करवाये एवम् बिला जरूरत जायज व बिला मुफाद खानदान के किसी भूमि को रहन बैय मुन्तकिल करनें तथा वादी को बेदखल करनें से बाज व ममनु रहे मगर वह टाल मटोल करते हुए दिनांक 22.06.2016 को साफ इन्कारी है, अतः फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायहित में आवश्यक है वरनला वादी की काश्त फसल व जीवन निर्वाह से बंचित होगा तथा मौके पर कभी भी कोई अप्रिय घटना होकर जानमाल का नुकसान हो सकता है।

अतः ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थी संख्या 1 इस अमर की सादिर की जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 79/50 मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 की कुल 2.530 हैक्टर में से निस्फ हिस्सा अर्थात 1.265 हैक्टर को किसी को रहन बैय मुन्तकिल करनें वादी को जबरन बेदखल करनें से बाज व ममनु रहे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया प्राथमिक दृष्टि से सन्तुष्ट होकर दिनांक 01.07.2016 को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया गया कि विवाद ग्रस्त भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 79/50 मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 की कुल 2.530 हैक्टर में से निस्फ हिस्सा अर्थात 1.265 हैक्टर को किसी को रहन बैय ना करें तथा आगामी पेशी तक रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति बनाई रखी जावे।

अप्रार्थीगण को जरिऐ रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जबाब प्रार्थना प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को आशिक रूप से स्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी का यह कहना गल्त है, कि अप्रार्थी संख्या 1 रामामण्डी में अन्य किसी औरत के साथ निवास कर रहा है। तथा प्रार्थी द्वारा कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि अपनें नाम से करवानें की बात नहीं की है तथा ना ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त कृषि भूमि को रहन बैय किया जा रहा है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस की गई दौरान बहस उभयपक्ष के विद्वा अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र तथा जबाब प्रार्थना पत्र को ही दोहराया गया।

–:: आदेश ::–

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक को 01.07.2016 को अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी के मूल वाद संख्या 123/2016 अनवान सुखदेवसिह बनाम सुखदीपसिंह के निर्णय तक स्थाई किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूल वाद संख्या 123/2016 के संलग्न हो

यह आदेश आज दिनांक ~~26.0.2017~~ 26-04-2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राज.स्व)